न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 68/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/ 5491 दिनांक : 28/3/2025

प्रार्थीगण

कालूराम पुत्र केशुराम,
जाति कुमावत, निवासी खींया,
तहसील जैसलमेर, जिला जैसलमेर (05)

विप्रार्थीगण

केवलाराम पुत्र पुरखाराम,
वगैरा (17)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक **गूंगा** को प्रार्थीगण की मौजा **गूंगा** तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर **242 व 243** रकबा क्रमश **1.1736 हैक्टयर व 2.5900** हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख **गूंगा** बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

क्रमांक :– आवेदन/2025/ 5492–96 दिनांक :– 28/3/2025

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. तहसीलदार **शिव** को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **गूंगा** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी **गूंगा** को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक **गूंगा** द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी कालूराम पुत्र केशुराम वगैरह (05) को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण केवलाराम पुत्र पुरखाराम वगैरा (17) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

Scanned with ACE Scanner